HRE Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 2364]
 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935

 No. 2364]
 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER, 8, 2013/ASVINA 16, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3049(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन के आदेश सं. एनएच -14012/2/97(पार्ट) दिनांक 24 दिसंबर, 1998 का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य, सीमा सड़क संगठन को सौंपती है, अर्थात् :-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)	
(1)	(2)	(3)	
44	अगरतला-सबरूम खंड (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 0.0 से 6.8	

[फा. सं. एनएच-14013/15/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2013

S.O. 3049(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in supersession to erstwhile Ministry of Surface Transport order number NH-14012/2/97(Pt.) dated the 24th December, 1998, the Central Government hereby directs that the Border Road Organization shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the following Table of the corresponding section as mentioned in column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) thereof :—

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
44	Agartala-Sabroom Section (in the State of Tripura)	From Km. 0.000 to Km. 6.8

[F. No. NH-14013/1 5/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3050(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 29 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगीं अर्थात् :—

"30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 [चुरईबारी- अगरतला खड़ के किमी 284 से किमी	त्रिपुरा राज्य सरकार'' ।
	482 और अगरतला-सबरूम खंड के किमी 0.0 से किमी 6.8 तक खंड को	
	छोडकर] के उतने भाग जो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित हैं।	

[फा. सं. एनएच-14013/15/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 2411(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2013

S.O. 3050(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :---

"30	So much of National Highway No. 44 [excluding from km. 284 to km. 482	State Government of
	of Churaibari-Agartala section and from km. 0.0 to km. 6.8 of Agartala—	Tripura."
	Sabroom section] as are situated within the State of Tripura.	

[F. No. NH-14013/15/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : —The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2411(E), dated the 7th August, 2013.